

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1594  
उत्तर देने की तारीख 09.02.2026

सांस्कृतिक संस्थानों, ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठनों के लिए अनुदान

1594. श्री सचिदानन्दम आर. :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सांस्कृतिक संस्थानों, न्यासों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी किए गए अनुदानों का योजना-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें वैचारिक अथवा धार्मिक संबद्धता और क्षेत्रीय वितरण शामिल है; और
- (ख) इसके लिए चयन मानदंड का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री  
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क): संस्कृति मंत्रालय देश भर में कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों/कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) स्कीम कार्यान्वित करता है। विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एनजीओ/न्यासों सहित विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को जारी की गई निधियों का स्कीम-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** पर दिया गया है।
- (ख): इन स्कीमों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक सांस्कृतिक संगठनों को सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों/प्रस्तावों की जांच इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ/मूल्यांकन समिति द्वारा की जाती है। विशेषज्ञ समिति स्कीम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों, संगठनों द्वारा की गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों/कार्यकलापों, उनकी क्षमता एवं संसाधनों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर उचित विचार करने के बाद प्रत्येक प्रस्ताव/आवेदन की योग्यता के आधार पर अपनी सिफारिशें देती है।

अनुलग्नक

'सांस्कृतिक संस्थानों, ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठनों के लिए अनुदान' के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1594 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (04.02.2026 तक)	
		संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	प्राधिकृत संगठनों की सं.	राशि	प्राधिकृत संगठनों की सं.	राशि	प्राधिकृत संगठनों की सं.	राशि
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.22
2	आंध्र प्रदेश	2	4.18	2	5.52	6	16.42	16	40.38	12	35.07	8	37.28
3	अरुणाचल प्रदेश	1	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	7	53.4	24	227.1	37	214.5	54	277.54	23	263.25	36	236.52
5	बिहार	33	181.6	30	190.8	64	363.8	158	697.37	50	347.56	91	602.41
6	चंडीगढ़	1	14.16	1	14.16	5	49.2	10	69.96	7	91.65	4	18.1
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	9	33.52	2	13.12	1	3.1
8	दिल्ली	54	439.6	63	535.1	98	793.3	161	1065.1	87	823.77	76	597.52
9	गुजरात	8	44.96	5	29.16	4	27.84	13	71.42	11	48.28	7	33.02
10	हरियाणा	4	21.94	4	30.84	24	93.06	23	124.2	15	138.16	13	63.36
11	हिमाचल प्रदेश	1	9.84	4	48.06	4	51.12	5	55.28	6	90.95	3	32
12	जम्मू और कश्मीर	9	59.58	7	51.48	15	120.8	37	118.2	27	215.66	23	131.26
13	झारखंड	1	2.64	2	21.54	13	69.18	18	100.64	13	47.65	11	90
14	कर्नाटक	47	291.9	60	470.0	113	807.4	201	1009.9	96	738.67	138	990.13
15	केरल	9	90.6	9	81.12	37	264.4	38	318.06	19	169.71	19	158.26
16	मध्य प्रदेश	42	294.1	34	236.5	73	525.4	106	687.19	69	654.78	85	653.23
17	महाराष्ट्र	23	156.0	33	237.3	41	307.6	97	639.72	59	333.05	65	525.76
18	मणिपुर	62	420.5	96	669.7	147	900.7	173	973.68	119	816.68	166	1150.47
19	मिजोरम	0	0	0	0	4	26.64	2	10.9	2	10.88	2	9.6
20	नागालैंड	0	0	1	5.52	2	8.88	1	6.96	4	12.93	4	13.9
21	ओडिशा	22	107.0	27	152.1	55	289.2	115	515.29	67	343.87	92	501.0
22	पांडिचेरी	2	12.72	0	0	5	50.04	3	32.52	5	65.76	3	47.14
23	पंजाब	3	24.48	5	37.44	6	43.56	10	66.68	8	56.06	6	44.8
24	राजस्थान	2	16.32	9	57.12	17	95.2	32	123.52	16	140.66	16	126.66
25	सिक्किम	0	0	0	0	1	2.64	3	7.02	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	10	49.54	4	17.28	19	108.6	22	143.02	14	90.15	8	66.58
27	तेलंगाना	7	75	9	82.56	17	153.0	19	109.52	17	131.72	19	177.36
28	त्रिपुरा	1	6.36	1	7.68	1	6.24	14	57.12	3	14.46	4	36.06
29	उत्तराखंड	6	20.86	5	23.04	16	80.86	17	65.96	12	76.03	11	79.46

30	उत्तर प्रदेश	33	161.5	26	195.3	57	293.9	107	438.32	70	502.02	61	404.07
31	पश्चिम बंगाल	139	916.3	112	821.7	333	2060.8	418	2288.4	208	1432.2	267	2004.78
	<b>कुल</b>	<b>529</b>	<b>3480.1</b>	<b>573</b>	<b>4248.5</b>	<b>1214</b>	<b>7824.7</b>	<b>1882</b>	<b>10147.6</b>	<b>1041</b>	<b>7704.7</b>	<b>1240</b>	<b>8834.05</b>

\* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

आरके मिशन सहित राष्ट्रीय महत्त्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (as on 04.02.2026)	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0	0.00	1	22.50	1	7.50	0	0.00	0	0
2	असम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	22.50	2	22.50	1	5
3	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	22.50	1	5
4	दिल्ली	3	141.25	1	5.99	7	241.25	11	276.25	8	103.75	3	19.76
5	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	26.25	0	0
6	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.00	0	0
7	कर्नाटक	0	0.00	0	0.00	1	22.50	0	0.00	1	4.73	1	22.5
8	केरल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	18.75	2	32.50	0	0
9	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	18.75	0	0
10	मध्य प्रदेश	0	0.00	0	0.00	1	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0
11	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.25	0	0
12	ओडिशा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.75	2	37.50	1	15
13	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.00	1	3.75	0	0.00	0	0.00	0	0
14	राजस्थान	1	21.25	1	5.00	1	37.50	1	26.25	2	27.50	0	0
15	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.00	0	0
16	उत्तर प्रदेश	1	45.00	1	12.50	2	93.75	1	22.50	1	7.50	0	0
17	पश्चिम बंगाल (एनपी)	0	0.00	2	6.75	0	0.00	2	37.50	3	31.25	0	0
18	आरके मिशन, पश्चिम बंगाल	1	722.96	1	728	1	738.56	1	766.50	1	807.00	1	403.5
	<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>930.46</b>	<b>6</b>	<b>758.24</b>	<b>15</b>	<b>1160.4</b>	<b>22</b>	<b>1216.5</b>	<b>28</b>	<b>1182.98</b>	<b>6</b>	<b>470.76</b>

\* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

## सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (04.02.2026 तक)	
		संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की सं.	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	34	23.06	54	66.67	65	62.85	83	80.7	49	75.79	9	17.5
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0.375	1	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	35	30.12	25	34.66	48	96.21	68	114.11	27	36.59	25	57.64
4	बिहार	51	42.94	67	95.26	123	203.2	126	161	73	122.21	77	165.47
5	चंडीगढ़	7	11.75	4	8.25	1	0.5	3	21.69	1	10	0	0
6	छत्तीसगढ़	6	8.75	6	13.03	3	5.5	4	7.5	3	6.42	5	12.43
7	दिल्ली	144	263.2	119	163.4	167	408.06	204	370.03	106	262.97	56	151.85
8	गोवा	1	0.75	2	3.75	1	0.625	1	1.5	2	2.12	2	6
9	गुजरात	13	18.43	11	19.12	17	23.4	16	12.34	3	3.59	9	17.5
10	हरियाणा	28	43.26	24	42.43	28	62.59	36	74.72	29	89.98	6	27.45
11	हिमाचल प्रदेश	7	4.2	14	21.91	8	11	15	25.75	11	12.92	9	18
12	जम्मू और कश्मीर	32	28.31	41	43.63	52	50.33	49	33.76	30	36.37	26	39.56
13	झारखंड	1	0.5	6	11.37	11	14.26	7	8	10	12.75	6	9.12
14	कर्नाटक	194	205.7	203	284.6	218	349.4	221	208.22	235	494.09	73	176.71
15	केरल	23	37.03	28	57.52	30	48.38	30	40.27	21	65.13	18	67.99
16	मध्य प्रदेश	77	79.78	94	200.12	141	264.9	161	155.17	100	202.89	112	292.29
17	महाराष्ट्र	34	56.27	27	63.63	56	104.1	34	29.64	44	97.31	19	48.41
18	मणिपुर	112	112.6	93	115.04	162	196.1	237	249.25	140	164.8	121	212.69
19	मिजोरम	2	3	2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	3	1.04	2	2.25	5	4.62	4	1.35	2	1	0	0
21	ओडिशा	131	173.8	149	182.9	180	296.8	168	269.71	179	482.88	67	148.55
22	पांडिचेरी	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	7.25
23	पंजाब	5	8.6	13	22.21	12	23.27	11	22.65	9	22	6	21.62
24	राजस्थान	38	28.31	33	63.81	48	81.16	57	46.28	40	61.55	33	93.5
25	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	3.75	3	7	1	3.75
26	तमिलनाडु	27	46.15	21	34.84	15	18.87	11	10.73	16	35.35	5	23.4
27	तेलंगाना	16	19.77	9	13.87	16	16.87	16	9.61	25	51.13	6	18.58
28	त्रिपुरा	4	6.5	5	5.75	16	16.15	23	24.94	10	7.87	7	14.25
29	उत्तराखंड	14	14.36	16	14.78	24	28.11	31	21.91	22	30	14	21.75
30	उत्तर प्रदेश	202	167.1	235	274.55	278	343.3	268	244.07	218	395.66	160	341.44

31	पश्चिम बंगाल	229	216.0	310	364.1	410	544.4	357	206.86	302	435.61	193	407.44
	<b>कुल</b>	<b>1471</b>	<b>1651.9</b>	<b>1615</b>	<b>2330.35</b>	<b>2135</b>	<b>3275.21</b>	<b>2242</b>	<b>2455.51</b>	<b>1710</b>	<b>3225.98</b>	<b>1068</b>	<b>2422.14</b>

\* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (as on 04.02.2026)	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	26	98.25	32	103.50	41	117.95	48	93.00	16	33.51	11	21.00
2	सिक्किम	6	26.50	6	16.50	4	10.00	4	16.00	1	5.00	1	4.00
3	हिमाचल प्रदेश	26	69.00	37	90.25	42	98.52	51	126.28	3	8.49	7	11.75
4	जम्मू और कश्मीर	14	21.50	43	73.25	69	117.02	29	47.52	10	16.25	10	11.70
5	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	7	24.50	6	18.00	11	34.00	2	5.50	0	0	0	0
6	उत्तराखंड	49	96.25	79	171.97	58	91.24	63	81.75	14	18.25	18	19.50
7	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.25	0	0
8	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	2.50	2	1.00	8	7.11
	<b>कुल</b>	<b>128</b>	<b>336.0</b>	<b>203</b>	<b>473.47</b>	<b>225</b>	<b>468.73</b>	<b>199</b>	<b>372.55</b>	<b>48</b>	<b>85.75</b>	<b>55</b>	<b>75.06</b>

\* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

## बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (as on 04.02.2026)	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	31	271.82	46	394.06	57	518.19	50	392.31	60	416.33	10	73.24
2	आंध्र प्रदेश	3	10.5	7	5.45	2	8	10	9.18	4	9.00	1	1.5
3	असम	6	20.53	7	22.49	9	30	15	72.00	6	24.36	9	37.93
4	बिहार	1	3	2	7.5	2	8.5	2	8.50	2	10.48	0	0
5	चंडीगढ़ (यूटी)	4	23.5	10	69.5	7	49.5	4	40.00	15	120.16	2	16.46
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	30	4	31.76	6	44.47	2	9.45	7	44.27	1	10.50
7	हिमाचल प्रदेश	63	335.65	81	375.52	78	550.97	31	167.63	49	317.38	77	290.59
8	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	1	7.5	1	7.5	6	23.5	4	20.00	5	33.50	2	21.0
9	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	57	271.57	89	523.06	45	319.62	44	246.42	6	26.94	110	336.75
10	कर्नाटक	27	204.02	38	212.59	33	272.8	11	62.78	49	333.82	14	85.00
11	केरल	0	0	0	0	1	13.5	0	0	0	0	0	0
12	मिजोरम	1	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	5	29	4	30.00	1	5.00	0	0
14	महाराष्ट्र	4	20	3	15	11	38.25	14	41.00	14	57.45	2	9.25
15	मणिपुर	8	15.95	0	0	2	5.5	3	9.50	1	3.00	0	0
16	ओडिशा	0	0	0	0	1	5	2	12.00	2	11.00	0	0
17	पंजाब	0	0	0	0	2	8.5	2	10.00			0	0
18	सिक्किम	1	9.04	2	37.5	0	0	12	89.93	5	39.99	1	10
19	त्रिपुरा	5	39.5	10	82.91	7	37.5	7	41.5	17	97.20	0	0
20	तमिलनाडु	1	5	1	5	0	0	2	10.00	0	0	0	0
21	तेलंगाना	1	15	0	0	2	22.5	3	30.00	0	0	1	12.5
22	उत्तराखंड	18	168.13	34	310.8	26	252.42	5	35.50	38	354.97	7	61.47
23	उत्तर प्रदेश	12	50.53	19	110.31	27	195.28	11	44.15	34	236.27	9	70.89
24	पश्चिम बंगाल	29	99.25	12	40.22	72	168.00	92	175.51	70	82.75	61	34.26
	<b>कुल</b>	<b>276</b>	<b>1607.9</b>	<b>366</b>	<b>2251.1</b>	<b>401</b>	<b>2601</b>	<b>330</b>	<b>1557.36</b>	<b>385</b>	<b>2223.87</b>	<b>307</b>	<b>1071.34</b>

\* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

## स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24*		2024-25*		2025-2026* (04.02.2026 तक)	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	असम	2	15.4	2	10.3	1	5.4	0	0	0	0	0	0
3	बिहार	0	0	0	0	1	0.6	1	6	0	0	1	6
4	छत्तीसगढ़	1	7.5	0	0	1	7.5	0	0	0	0	0	0
5	दिल्ली	1	6.6	1	10.25	0	0	2	11.2	3	23.25	1	1.25
6	हिमाचल प्रदेश	1	7.5	3	20.82	1	12.79	1	6	2	20	0	0
7	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0
8	कर्नाटक	2	14	6	49.8	3	26.4	1	25	0	0	0	0
9	केरल	0	0	0	0	1	1.4	0	0	0	0	0	0
10	मध्य प्रदेश	2	7.26	1	4	1	3	0	0	4	16.86	0	0
11	महाराष्ट्र	1	8.8	2	5.4	0	0	2	8	2	25	0	0
12	मणिपुर	6	31.1	2	11.93	4	15.98	6	35.23	2	3.88	2	12.5
13	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5	0	0
14	नागालैंड	3	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ओडिशा	4	12.73	1	4	0	0	0	0	2	21.5	0	0
16	पंजाब	0	0	1	1.2	0	0	1	2	1	0.9	0	0
17	राजस्थान	1	10	0	0	1	7.5	0	0	0	0	1	7.5
18	तेलंगाना	1	2.86	0	0	1	4.29	0	0	0	0	0	0
19	उत्तराखंड	1	5.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	पश्चिम बंगाल	2	22.2	3	15.35	5	34.61	1	15	4	24.2	0	0
	<b>कुल</b>	<b>29</b>	<b>193.46</b>	<b>22</b>	<b>133.05</b>	<b>20</b>	<b>119.47</b>	<b>15</b>	<b>108.43</b>	<b>23</b>	<b>150.09</b>	<b>5</b>	<b>27.25</b>

\* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

**संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलाप हेतु वित्तीय सहायता**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-2025	
		संगठनों/राज्य सरकारों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1.	उत्तर प्रदेश	2	120

**टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता**

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2020-2021		2021-2022		2022-2023*		2023-2024*		2024-2025*	
		संगठनों/राज्य सरकार की संख्या	राशि (रुपए में)	संगठनों/राज्य सरकार की संख्या	राशि (रुपए में)	संगठनों/राज्य सरकार की संख्या	राशि (रुपए में)	संगठनों/राज्य सरकार की संख्या	राशि (रुपए में)	संगठनों/राज्य सरकार की संख्या	राशि (रुपए में)
1.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300
2.	कर्नाटक	0	0	1	254.7	0	0	0	0	0	0
3.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	1131.52	0	0
4.	मेघालय	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0
5.	राजस्थान	0	0	1	94.5	0	0	1	54.91	0	0
6.	तमिलनाडु	1	596.43	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	369.57	0	0
<b>कुल</b>		<b>1</b>	<b>596.43</b>	<b>2</b>	<b>349.2</b>	<b>1</b>	<b>500.00</b>	<b>4</b>	<b>1556</b>	<b>1</b>	<b>300</b>

\* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, संबंधित सीएनए को 369.57 लाख रुपए की राशि जारी की गई। 369.57 लाख रुपए की कुल जारी की गई राशि में से 337.11 लाख रुपए की धनराशि 01 संगठन को अधिकृत की गई है।